

राजस्थान सरकार

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2016

जयपुर, दिनांक : 27-07-2018

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. The existing expression "Rs. 1000/-" appearing in sub-rule (1) of Rule 121 of Part-I of Volume-I of GF&AR shall be substituted by "Rs. 3000/-".
2. The existing item 19 of Part II (Contingent and Miscellaneous Expenditure) of Part-III of Volume-I of GF&AR shall be substituted as under :


S. No.	Nature of Power	Head of Office	Regional Office	Head of Departments	Admn. Departments	Restriction/ Conditions/ Remarks
"19.	Direct procurement of Works, Goods or Services from sources notified by the State Government u/s 6(2) of the RTPP Act and Rule 32 of RTPP Rules.	Upto Rs. 3.00 lac per annum	Upto Rs. 5.00 lac per annum	Upto Rs. 25.00 lac per annum	Full Powers	As per the conditions mentioned in the notification S.O.135 dated 4.9.2013 (including amendments thereto)."

आज्ञा से,

(उषस्पति त्रिपाठी) 27/7/18
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/
समस्त विशिष्ट शासन सचिवगण ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
8. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
10. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्तगण ।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें ।


(हरीश लड्डा)
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR - 09/2018)

Pg.2 of 2